न्यायालय उपखंड अधिकारी लूनकरनसर

बअदालत :– संजीव कुमार आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या 85/2020

विकास पुत्र भीयांराम उर्फ नन्दराम जाति जाट निवासी 22 एन.डी.आर. चोहिलांवाली तहसील व जिला हनुमानगढ।

बनाम

1. शिशपाल पुत्र मीनीराम जाति जाट निवासी 22 एन.डी.आर. चोहिलांवाली तहसील व जिला हनुमानगढ।
2. महावीर पुत्र देवीलाल जाति जाट निवासी 22 एन.डी.आर. चोहिलांवाली तहसील व जिला हनुमानगढ।
3. लेखराम पुत्र देवीलाल जाति जाट निवासी 22 एन.डी.आर. चोहिलांवाली तहसील व जिला हनुमानगढ।
4. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार लूनकरनसर

वाद अन्तर्गत धारा 88,188 आरटीएक्ट 136 एलआरएक्ट

उपस्थित 1. श्री नेतराम सियाग वादी की ओर से
2. श्री रामकरण मूण्ड प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 की ओर से
3. पैरोकार राज स्टेट की ओर से

दिनांक: 29.03.2023

निर्णय

पत्रावली हमारे समक्ष प्रस्तुत हुई। वादी ने यह अन्तर्गत धारा 88,188 आरटीएक्ट एवं धारा 136 एलआरएक्ट के तहत प्रस्तुत कर घोषणा बाबत चिरस्थाई निषेधाज्ञा एवं रिकार्ड दुरूस्ती बाबत मौजा रोही ग्राम रोही राजपुरा हुड्डान तहसील लूनकरनसर के पुराने खसरा नम्बर 690/138 तादादी 8.06 बीघा मनीराम के नाम से खसरा नम्बर 691/138 तादादी 12.5 बीघा महावीर लेखराम के नाम से खसरा नम्बर 692/138 तादादी 12.5 बीघा, बनवारी के नाम से खसरा नम्ब्र 693/138 तादादी 8.7 बीघा विद्यादेवी वगैरह के नाम से खसरा नम्बर 694/138 तादादी 8.7 बीघा भीयाराम के नाम से राजस्व रिकार्ड मे दर्ज थी जिस पर सभी खातेदारों का अपने हिस्से पर कब्जाकाश्त था एवं नक्शे में अलग अलग तरमीम थी उसी के मुताबिक आज भी कब्जाकाश्त चला आ रहा हैं। भीयांराम ने उक्त भूमि अपने पुत्र विकास के पक्ष में गिफ्ट डिड कर दी । राजस्व रिकार्ड में वादी के नाम से दर्ज हुई। वादगत भूमि के आसे पासे के मुताबिक कब्जाकाश्त चला आ रहा हैं।

लूनकरनसर तहसील मे भू प्रबन्ध की कार्यवाही की गई भू प्रबन्ध विभाग द्वारा पुराने खसरा नम्बर को नये खसरे मे परिवर्तित किया [illegible] पुराने खसरा नम्बर 694/138 जिसके नये खसरा नम्बर 924/929 मे [illegible] हैक्टे [illegible] बनाये गए किन्तु वादी के कब्जे के अनुसार नहीं बनाकर कब्जे के विपरीत [illegible] नये खसरे मे वादी की खातेदारी भूमि को फिट किया [illegible] वादी अपनी पूर्व की तरमीमशुदा भूमि को उसी के अनुसार [illegible] को निरस्त करवाते हुए निरस्त करवाने के हकदार हैं। वादी की खतेदारी भूमि होने के कारण वादगत भूमि में अपने हको की घोषणा करवाने के हकदार हैं।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sanjeev Kumar Verma
Date: 2024.02.23 18:15:37 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
लूणकरणसर

भूमि प्रबन्ध विभाग को पुराने खसरा से नये खसरा मे परिवर्तन बडे खसरों को छोटे खसरों मे परिवर्तन या किसी न्यायालय के आदेश से किसी खातेदार का नाम हटाया व जोडा जा सकता हैं। किन्तु किसी खातेदार को अपनी खातेदारी भूमि की तरमीम को निरस्त करने का अधिकार भूप्रबन्ध विभाग को नहीं हैं। इस कारण भूप्रबन्ध विभाग क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर वादी की खातेदारी कब्जे काश्तशुदा भूमि को अन्य जगह तरमीम कर देने के कारण उक्त तरमीम निष्प्रभावी घोषित करवाने का हकदार हैं।

मनीराम भीयांराम विद्यादेवी वगैरह की भूमि को नये खसरा नम्बर 229 मे अंकित कर दी व महावीर लेखराम व बनवारी की भूमि नये खसरा नम्बर 232 मे फिट कर दी गई व मनीराम के नाम से अन्य खसरा नम्बर की भूमि नये खसरा नम्बर 231 मे तरमीम कर दी गई। भूप्रबन्ध विभाग द्वारा ना तो मोका की जांच की ना मौका देखा मौका के विपरित जाकर तरमीम की गई हैं। इस कारण उक्त तरमीम वादी के अधिकारो पर प्रभाव शुन्य हैं। पटवारी हल्का से अपनी खातेदारी भूमि की नकल चाही तब पटवारी हल्का ने बताया की आपके नाम से नये खसरा नम्बर 224/229 तादादी 2.11 हैक्टेयर मे दर्ज हैं तब वादी ने अपनी खातेदारी भूमि को दक्षिण दिशा मे बताया व पटवारी हल्का को पुरानी तरमीम का नक्शा बताया तब पटवारी ने बताया की भूप्रबन्ध विभाग द्वारा नई तरमीम की गई हैं। अतः पुराने खसरा नम्बर 694/138 तादादी 8.07 बीघा जो नये खसरा नम्बर 232 व 231 मे दक्षिण दिशा की तादादी 2.11 हैक्टेयर भूमि पुरानी तरमीम एवं कब्जे काश्त के अनुसार है की घोषणा करवाने की हकदार हैं। राजस्व रिकार्ड मे पुराने खसरा नम्ब्र 694/138 तादादी 8.07 बीघा जो नये खसरा नम्ब्र 232 व 231 मे पुरानी तरमीम के अनुसार राजस्व रिकार्ड मे दुरूस्ती करवाने के हकदार हैं। नए नक्शे से खसरा नम्बर 924/229 तादादी 2.11 हैक्टेयर भूमि को नये खसरा नम्बर 232 व 231 की दक्षिण दिशा दुरूस्त करने का निवेदन किया गया।

वाद को दर्ज रजिस्टर करने के पश्चात प्रतिवादी को रजिस्टर्ड समन जारी किये गये। प्रतिवादीगण की संख्या 1ता3 की ओर से अधिवक्ता रामकरण मूण्ड द्वारा पेश जवाब मे प्रतिवादी ने वादपत्र में वर्णित बिन्दु संख्या 1ता4,6,7,8,10 को स्वीकार किया बिन्दू संख्या 5 मे भूप्रबन्ध विभाग द्वारा पूर्व तरमीम के विपरित जाकर गलत तरमीम की है वादी एवं प्रतिवादीगण की तरमीम मौका के विपरित भू प्रबन्ध विभाग द्वारा की है जिसको निरस्त कर पूर्व तरमीम के अनुसार वादी एवं प्रतिवादीगण की तरमीम किए जाने हेतु निवेदन किया गया। वाद–पत्र मे प्रस्तुत तथ्य स्वीकार होने के कारण तनकीयात की आवश्यकता नही हैं। अतः निर्णय हेतु निवेदन किया गया।

स्टेट की ओर से राजपेरोकार उपस्थित । चूंकि प्रकरण प्रकरण खातेदारो की मध्य है । अतः राज्य हित प्रभावित नहीं होता हैं। अतः पक्षकारो के मध्य बहस सून निर्णय हेतु निवेदन किया गया।

हमने बहस उभय पक्ष सुनी गई। वाद पत्र मे वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए वादी वकील द्वारा निवेदंन किया गया की मनीराम भीयांराम विद्यादेवी वगैरह की भूमि को नये खसरा नम्बर 229 मे अंकित कर दी व महावीर लेखराम व बनवारी की भूमि नये खसरा नम्बर 232 मे फिट कर दी गई व मनीराम के नाम से अन्य खसरा नम्बर की भूमि नये खसरा नम्बर 231 मे तरमीम कर दी गई। भूप्रबन्ध विभाग द्वारा ना तो मोका की जांच की ना मौका देखा मौका के विपरित जाकर तरमीम की गई हैं। इस कारण उक्त तरमीम वादी के अधिकारो पर प्रभाव शुन्य हैं। पटवारी हल्का से अपनी खातेदारी भूमि की नकल चाही तब पटवारी हल्का ने बताया की आपके नाम से नये खसरा नम्बर 224/229 तादादी 2.11 हैक्टेयर मे दर्ज हैं तब वादी ने अपनी खातेदारी भूमि को दक्षिण दिशा मे बताया व पटवारी हल्का को पुरानी तरमीम का नक्शा बताया तब पटवारी ने बताया की भूप्रबन्ध विभाग द्वारा नई तरमीम की गई हैं। अतः तरमीम निरस्त कर पूर्व अनुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरूस्त कर तरमीम का राजस्व रेकॉर्ड मे अंकन किए जाने हेतु निवेदन किया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sanjeev Kumar Verma
Date: 2024.02.23 18:15:37 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
लूणकरणसर

वादपत्र में वर्णित कथनों एवं प्रस्तुत दस्तावेज शपथ पत्र आदि का भलीभांती अध्ययन किया गया। वाद पत्र के समर्थन मे प्रस्तुत दस्तावेजो मे नजरी नक्शा ग्राम राजपूरा हुड्‌ान जमाबन्दी प्रति संवत् 2069–2072 ग्राम राजपूरा हुड्‌ान खसरा नम्बर 694 / 138 , जमाबन्दी संवत् 2069–72 खसरा नम्बर 693 / 138 तादादी 8.07 हैक्टेयर बारानी, जमाबन्दी संवत् 2073–76 ग्राम राजपूरा हुडान खसरा नम्बर 232 तादादी 6. 32 हैक्टेयर बारानी, जमाबन्दी संवत् 2073–76 खसरा नम्बर 924 / 229 तादादी 2.11 हैक्टेयर बारानी, नजरी नक्शा पुराना, जमाबन्दी संवत् 2073 खसरा नम्बर 926 / 229 तादादी 2.10 हैक्टेयर बारानी एवं जमाबन्दी संवत 2073 खसरा नम्बर 231 तादादी 5. 06 हैक्टेयर बारानी, जमाबन्दी संवत 2073 खसरा नम्बर 925 / 229 तादादी 2.11 हैक्टेयर बारानी आदि पेश किए गए।

अतः प्रस्तुत शपथ पत्र, दस्तावेज रिकॉर्ड से हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे है कि मनीराम भीयांराम विद्यादेवी वगैरह की भूमि को नये खसरा नम्बर 229 मे अंकित कर दी व महावीर लेखराम व बनवारी की भूमि नये खसरा नम्बर 232 मे फिट कर दी गई व मनीराम के नाम से अन्य खसरा नम्बर की भूमि नये खसरा नम्बर 231 मे तरमीम कर दी गई। भूप्रबन्ध विभाग द्वारा ना तो मोका की जांच की ना मौका देखा मौका के विपरित जाकर तरमीम की गई हैं। इस कारण उक्त तरमीम वादी के अधिकारो पर प्रभाव शुन्य हैं। अतः उक्त खसरा नम्बर मोजा रोही राजपुरा हुड्‌ान मे पुरानी तरमीमशुदा भूमि की भू–प्रबन्ध विभाग द्वारा मौका के विपरीत तरमीम को निरस्त किया जाता हैं। मौजा रोही राजपुरा हुडान के पुराने खसरा नम्बर 694 / 138 तादादी 8.07 बीघा जो नये खसरा नम्बर 232 व 231 मे दक्षिण दिशा की तादादी 2.11 हैक्टेयर भूमि पुरानी तरमीम एवं कब्जे काश्त के अनुसार राजस्व रिकार्ड मे दुरूस्ती एवं नए नक्शे से खसरा नम्बर 924 / 229 तादादी 2.11 हैक्टेयर भूमि को नये खसरा नम्बर 232 व 231 की दक्षिण दिशा दुरूस्त करने की घोषणा की जाती हैं। तदानुसार डिकी जारी हो। पत्रावली निर्णय में शुमार होकर हस्ब जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज खुले न्यायालय में दिनांक 29.03.2023 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सुनाया गया।

(संजीव कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
लूनकरनसर

Signature Not Verified

Digitally signed by Sanjeev Kumar Verma
Date: 2024.02.23 18:15:37 IST
Reason: SelfAttested

डिगरी बमुकदमें इब्तदाई

(ओ 21 रूल 6,7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत : उपखण्ड अधिकारी, लूनकरनसर

ब इजलास : संजीव कुमार, **आरएएस**

विकास **बनाम** शिशपाल वगै.

दावा अंतर्गत धारा 88,188 आरटीए एवं धारा 136 एलआरएक्ट

मुकदमा नम्बर :— 85 /2020

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे व हाजरी **वादी वकील श्री नेतराम सियाग,** मिनजानिब मुदई रामकरण मूण्ड एवं **पैरोकार राज राज्य की ओर से** मिनजानिब मुदायलाह पेश होकर हुकम दिया जाता है कि वाद वादी स्वीकार किया जाकर घोषणा की जाती है कि मौजा रोही राजपुरा हुडान के पुराने खसरा नम्बर 694/138 तादादी 8.07 बीघा जो नये खसरा नम्बर 232 व 231 मे दक्षिण दिशा की तादादी 2.11 हैक्टेयर भूमि पुरानी तरमीम एवं कब्जे काश्त के अनुसार राजस्व रिकार्ड मे दुरूस्ती एवं नए नक्शे से खसरा नम्बर 924/229 तादादी 2.11 हैक्टेयर भूमि को नये खसरा नम्बर 232 व 231 की दक्षिण दिशा दुरूस्त करने की घोषणा की जाती हैं। तहसीलदार लूनकरनसर मुताबिक आदेश राजस्व रिकॉर्ड में दुरूस्ती करें।

नीज ....- ....मुबलिक ....- ....बाबत खर्चा इस मुकदमें मय सूद व शहर .... -............................ फीस सदी सालाना आज की तारीख से वसूल याबो तक ....-......................... को अदा करे।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत से आज दिनांक 29.03.2023 को डिक्री जारी की गई।

(संजीव कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
लूनकरनसर

उपखण्ड अधिकारी
लूनकरनसर

Signature Not Verified

Digitally signed by Sanjeev Kumar Verma
Date: 2024.02.23 18:15:37 IST
Reason: SelfAttested